तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
09/04/2021	प्रार्थीगण के वकील उप०। विप्रार्थीगण अनु०। इनके नोटिस रजिस्टर्ड भेजे हुए एक माह से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है, जो तामील की तारीख मानी जाती है, विप्रार्थीगण बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश तलबा से लिखाना जारी कर पुनः नामान्तरण को खोला गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसला [illegible] से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सेवामें,

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:27:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 168 दिनांक 9.4.21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. वरजु पत्नी वीरमाराम जाति जाट ,उम्र 38वर्ष , निवासी असाड़ा 2. पेम्पो पत्नी करनाराम जाट उम्र 37 वर्ष सेवनीयाला 3. भैराराम पुत्र चैतनराम जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी असाड़ा 4. करनाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट उम्र 43 निवासी सेवनीयाला तहसील		1. मानाराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी सांभरा 2. चौखा राम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी सांभरा 3. हड़मान पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी कृषी मण्डी के पीछे मुगडा रोड़ बालोतरा । 4. महेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत नि.सांभरा । 5. राजुसिंह पुत्र लालसिंह निवासी सांभरा । 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी पचपदरा

मुकदमा नंबर 21/2021 **आदेश** दिनाक 9.4.21

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा कलावा, पटवार क्षैत्र खेड़, तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर 532/25 रकबा 16.12 बीघा , सरहद विवादित। भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है । उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

अधिकारी (S.D.O.) ... बालोतरा

क्रमांक/ रीडर/ 2021/ 169–173 दिनांक 9.4.21

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना ....को पालना हेतू
3. पटवारी क्षेत्र रामसीन तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है किनिर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थीगण वरजु पत्नी वीरमाराम जाति जाट ,उम्र 38वर्ष , निवासी असाड़ा ,तहसील पचपदरा ।
5. विप्रार्थीगण ~~हड़मान~~ मानाराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी ... ,तहसील पचपदरा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:27:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner